



प्रेषक,

उमा द्विवेदी,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
संस्कृति निदेशालय, उ०प्र०,  
जवाहर भवन, लखनऊ।

### संस्कृति अनुभाग

लखनऊ : दिनांक 20 मार्च, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में वृन्दावन शोध संस्थान, वृन्दावन, मथुरा को गैर वेतन मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष द्वितीय किश्त की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4581/सं०नि०-20 (वृ०शो०सं०)/ गै०वे०-12)2021-22 दिनांक 06 मार्च, 2026 तथा निदेशक, वृन्दावन शोध संस्थान, वृन्दावन (मथुरा) के पत्र संख्या- VI /उ०प्र० गैर वेतन/ वृ०शो०सं०/2025-26/1034 दिनांक 22 फरवरी, 2026 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में वृन्दावन शोध संस्थान, वृन्दावन, मथुरा को 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि ₹० 50.00 लाख के सापेक्ष द्वितीय एवं अंतिम किश्त के रूप में **₹० 25.00 लाख (रूपये पच्चीस लाख मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

- (1) स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल अनुमोदित मद/योजनाओं पर किया जायेगा।
- (2) स्वीकृत धनराशि कोषागार से एकमुश्त आहरित करने के बजाय आवश्यकतानुसार व्यय की सीमा तक ही आहरित की जायेगी।
- (3) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक- 27-मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (4) प्रश्नगत स्वीकृति संस्कृति निदेशालय/ वृन्दावन शोध संस्थान द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है यदि बजट के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व संस्कृति निदेशालय/ वृन्दावन शोध संस्थान का होगा।
- (5) यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहाँ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय। उपर्युक्त स्वीकृति धनराशि के सम्बन्ध में वित्त विभाग के मितव्ययता सम्बन्धी आदेशों तथा व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 13/2022/बी-1-45/दस-2022-231/2022 दिनांक 07 जून, 2022 एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के नियमों व इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों में दिये गये दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ०प्र० बजट मैनुअल के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंडर्ड्स आफ फाइनैशियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाएगा।

- (7) वृन्दावन शोध संस्थान, वृन्दावन, मथुरा द्वारा आगामी किश्त अवमुक्त किये जाने से पूर्व इस आशय का प्रमाण पत्र भी दिया जाना होगा कि विगत वर्षों में अवमुक्त की गयी धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि अवशेष एवं अप्रयुक्त शेष नहीं है।
- (8) वृन्दावन शोध संस्थान, वृन्दावन, मथुरा को पूर्व वर्षों में स्वीकृत /अवमुक्त अनुदान की धनराशि से सम्बन्धित स्थानीय लेखा परीक्षा/आडिट रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (9) उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय से संबंधित बिल / बाउचर्स एवं सम्पूर्ण लेखा-जोखा सुरक्षित रखा जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **रुपये 25,00,000/- ( रुपये पच्चीस लाख मात्र )** को चालू वित्तीय वर्ष 2025 - 26 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या 092 लेखा शीर्षक 2205001011200** वृन्दावन शोध संस्थान वृन्दावन (मथुरा) को अनुदान- **मानक मद 20** सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-7-250-X-2025-26-दिनांक:19-3-2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,  
उमा द्विवेदी  
विशेष सचिव।

संख्या- 90 /2026/ 730(1) /चार-2026-1712410 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र० प्रयागराज।
- 4- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ०प्र० जवाहर भवन, लखनऊ।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 6- निदेशक, वृन्दावन शोध संस्थान, वृन्दावन, मथुरा।
- 7- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4, उ०प्र० शासन।
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
उमा द्विवेदी  
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।